न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस

प्रकरण सं.:– 183/2006(केकडी) व 44/2010 (भिनाय)

1. हरिशचन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर राज0 वादी

बनाम

1. हिम्मत सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. भवान सिंह पुत्र नारयण सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. छीतर पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. घनश्याम दत्तक पुत्र लालू जाति दरोगा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. श्रीमति विष्णुकंवर पत्नि स्व0 नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. आजाद सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. राज भंवर पुत्री स्व0 नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. प्रभुलाल पुत्र श्री अम्बालाल जाति अहीर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. उपखंजीयक महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

12. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
13. दिवाकर सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
14. श्रीमति कृष्णा कुमारी पत्नि देवीसिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
15. इन्द्रा कुमारी पुत्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रफोर्मा प्राप्त किया गया

उपस्थित :– श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता वादी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

श्री गजेन्द्र सिंह राणावत अधिवक्ता प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 12
पैराकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश:– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 20.09.2022

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां ...ील भिनाय के खसरा नं. 3338 रकबा 4.00, 3360 रकबा 5.86 है0, 3358 रकबा 5.69, 3359 ...बा 3.84, 3329 रकबा 0.93, 3330 रकबा 0.33, 3331 रकबा 0.35, 3334 रकबा 0.79, 3339 ...बा 1.62, 3340 रकबा 0.38, 3241 रकबा 1.30, 3342 रकबा 1.62, 3344 रकबा 0.51, 3345 ...बा 0.65, 3367 रकबा 0.81, 3348 रकबा 0.39, 3349 रकबा 0.80, 3350 रकबा 0.62, 3351 ...बा 1.07, 3354 रकबा 1.35, 3356 रकबा 3.43, 3357 रकबा 1.98 एवं संवत 2041 अनुसार ...सरा नं. 3677/4573 रकबा 12-16-10 भूमियों को लेकर वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 ... 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त भूमियों में विरासत के आधार पर अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता अमर सिंह राठौड ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा जो घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद वर्णित आराजीयात देवी सिंह जो वादी के पिता है, कि आराजी से संबंधित हैं। जो सिंलिंग प्रकरण सं. 18/75 सरकार बनाम देवीसिंह वगैरह चला था जिसका निस्तारण हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण सभी उक्त सिंलिंग प्रकरण में पक्षकार थे तथा प्रतिवादीगण के संबंधित आराजी के संबंध में भी घोषणा पत्र श्री देवी सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त सिंलिग वाद का निस्तारण दिनांक 17.05.76 को हो चुका है। इस प्रकार वादी को इस न्यायालय में सिंलिंग फैसल प्रकरण की आराजी में घोषणात्मक वाद पेश करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि वाद पत्र में श्री हिम्मत सिंह, नरेन्द्र सिंह, भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह, लालू जो प्रतिवादीगण है जिनको देवी सिंह जी द्वारा आराजीयात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा सेल डीड की गई थी तथा राजस्व रिकॉर्ड में यह प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेजात निरस्त किये माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाकर वाद पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बताया कि वाद वर्णित आराजीयात देवीसिंह जी की थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त वाद वर्णित आराजी को बिना किसी आधार के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 के नाम दर्ज कर दी गई जो कतई गलत होने से दुरूस्त होने काबिल है जिसका निस्तारण वाद बिन्दु बनाकर किया जाना आवश्यक बताते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बहस उभयपक्षान नियत की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने समर्थन में एक ही भूमि हेतु, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण पूर्व में निर्णित किए जाने एवं प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों को दोहराकर रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रभाव शून्य [illegible] का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 [illegible] जाप्ता दीवानी स्वीकार किए जाने का पुरजोर निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लिखित बहस [illegible] किए कि वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि के बाबत घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 का नाम विलोपित [illegible] वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी सं. 12 लगायत 15 को आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत आनुतोष चाहा है। उन्होंने बताया कि वाद पत्र के पैरा सं. 2 एवं 3 के अनुसार वर्णित आराजी स्व0 देवीसिंह जी जो कि ग्राम देवलियांकलां के इस्तमरारदार थे, की खातेदारी की आराजीयात है, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे,काश्त में चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...रदारी प्रथा के समाप्त होने एवं सिलिंग एक्ट प्रभाव में आने से स्व0 श्री देवी सिंह जी की ...री की आराजी निर्धारित सीमा से अधिक होने पर अवाप्ति हेतु तहसीलदार केकड़ी ने एक ...ग प्रकरण 7/70 प्रस्तुत किया था, जो खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील राजस्व ...ल अधिकारी के यहां प्रस्तुत की थी। जिसमें वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत भूमि ऑपशन को स्वीकारते हुए 100.96 एकड़ भूमि निर्धारित सीमा से अधिक मानते हुए अवाप्त करने का निर्णय पारित किया गया जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जहां राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय यथावत रखने का निर्णय दिया गया। उन्होंने बताया कि सिलिंग मुकदमा सं. 18/75 सरकार बनाम श्री देवीसिंह जी के नाम से न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी, केकड़ी के समक्ष विचाराधीन था जिसमें दिनांक 17.05.1976 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध भवानी सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी देवलियांकलां व प्रतिवादी सं. 10 व के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के समक्ष राजस्व अपील सं. 9/2007 व 10/2007 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2009 को खारिज कर दी गई तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीले प्रस्तुत की गई जो दोनों अपीलें दिनांक 08.03.2010 को निस्तारित कर खारिज की गई, उक्त संपूर्ण तथ्यों की प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आरम्भ से पूर्ण जानकारी है। वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 ने वाद वर्णित आराजीयात को मिलीभगत कर दौराने भू-संशोधन रिकॉर्ड के अनुसार आधारभूत जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 का नाम दर्ज कर दिया गया है। जो गलत है। जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उन्होंने लिखित कथन किए कि हिम्मत सिंह, नरेन्द्र सिंह, भवानी सिंह, छीतर व लालू ने स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने संबधी जो कथन किए है, कथित विक्रय पत्र आरंभ से ही शून्य है, क्योंकि वाद वर्णित आराजीयात के संबंध में भिन्न-भिन्न राजस्व न्यायलयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी भी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 के द्वारा वर्णित किये जा रहे किसी भी विक्रय पत्र को कोई मान्यता कभी भी नहीं दी गई है, ना ही दी जा सकती है, क्यों कि उक्त विक्रय पत्रों को किसी भी प्रकार से वैधता किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी नहीं दी गई है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी प्रकार से विक्रय पत्रों के निरस्तीकरण से संबंधित नहीं है, ना ही विक्रय पत्रों को किसी भी प्रकार से वाद में वर्णित कर संदर्भित किया गया है। प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा केवल मात्र घोषणा का आनुतोष प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। वादी द्वारा कहीं भी उक्त विक्रय पत्रों का ना तो हवाला दिया है और ना ही अभिवचनित किया है। वादी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 ने मिलीभगत कर वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी का नामान्तकरण गलत एवं अवैध रूप से वर्ष 1971 से स्टे होने के बावजूद अपने पक्ष में दर्ज करवाया है। वादी ने उक्त अभिवचन करते हुए प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करते हुए आराजीयात वापस वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है! उन्होंने बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई प्रावधान अथवा विधि का उल्लेख किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को इस प्रकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थ[illegible] केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है [illegible] होकर खारिज होने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार [illegible] किया।

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं [illegible] पर उपलब्ध तथ्य रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि वाद ग्रस्त भूमियों के संबंध में [illegible]ालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा प्रकरण सं. 18/75 दिनांक 17.05.1976 को निर्णित किया गया। जिसे वादी द्वारा स्वयं अपने लिखित बहस में स्वीकार किया है। उक्त प्रकरण में पारित निर्णयों के संबंध में आपत्ति होने पर अन्य सक्षम न्यायालयों में अपील दर्ज कराकर विधिसम्मत निर्णय पारित कराए जाने का

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न है। जो वादी द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं कर सीधे नया वाद प्रस्तुत किया जो कानूनन
। नहीं हैं एवं न ही न्यायोचित हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते उसी समान स्तरीय
यालय में दुबारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष की मांग हेतु आपत्ति वास्ते रेसज्यूडिकेटा सिद्धान्त
उचित प्रतीत है साथ ही वाद पत्र में वर्णित हिम्मत सिंह, नरेन्द्र सिंह, भवानी सिंह, छीतर व
ने स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियां
विलोपित किया जाना बिना पंजिबद्ध दस्तावेज अर्थात विक्रय पत्र को अवैध अथवा शून्य घोषित
कराए संभव नहीं है, जिस हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही की जाकर वांछित अनुतोष प्राप्त
किया जा सकता हैं, राजस्व न्यायालय को सिविल प्रकृति के प्रकरण निस्तारित करने का कोई
अधिकार प्राप्त नहीं है।

—:आदेश:—

उपरोक्त स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वास्ते वाद खारिज करने एवं वास्ते राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव शून्य घोषित नहीं कराने का अधिकार हेतु स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा मौजा देवलियांकलां तहसील भिनाय के खसरा नं. 3338 रकबा 4.00, 3360 रकबा 5.86 है0, 3358 रकबा 5.69, 3359 रकबा 3.84, 3329 रकबा 0.93, 3330 रकबा 0.33, 3331 रकबा 0.35, 3334 रकबा 0.79, 3339 रकबा 1.62, 3340 रकबा 0.38, 3241 रकबा 1.30, 3342 रकबा 1.62, 3344 रकबा 0.51, 3345 रकबा 0.65, 3367 रकबा 0.81, 3348 रकबा 0.39, 3349 रकबा 0.80, 3350 रकबा 0.62, 3351 रकबा 1.07, 3354 रकबा 1.35, 3356 रकबा 3.43, 3357 रकबा 1.98 एवं संवत 2041 अनुसार खसरा नं. 3677/4573 रकबा 12-16-10 भूमियों का रेसज्यूडिकेटा सिद्धान्त लागू होने से वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार दर्ज होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner